संख्याः 75 /XVIII(II)/2010–1(54)/2009

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः3 नवम्बर, 2010

विषयः–उदयान केयर ट्रस्ट, नई दिल्ली का निर्धन बच्चों हेतु, शिक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में ग्राम जगतपुर तिलवाड़ी, तहसील, विकास नगर, जिला देहरादून में, 0.1540 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–353/ के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, उदयान केयर ट्रस्ट, नई दिल्ली का निर्धन बच्चों हेतु, शिक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में ग्राम जगतपुर तिलवाड़ी, तहसील, विकास नगर, जिला देहरादून में, 0.1540 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत, समाज कल्याण विभाग/शिक्षा विभाग/आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी अनापत्ति/सहमति एवं आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्या 508 ख के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (निर्धन बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालय की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था,उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

.....2

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– ट्रस्ट द्वारा प्रस्तातिव भूमि का उपयोग मात्र निर्धन बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालय की स्थापना के लिए ही किया जायेगा। इसके साथ ही, प्रस्तावित भूमि का उपयोग, किसी अन्य कार्य हेतु किये जाने पर, उक्त भूमि स्वतः ही राज्य सरकार में नीहित कर ली जायेगी।

8– ट्रस्ट द्वारा अनाथालय और अनाथपूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1960 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9– दून घाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना 2031 तैयार करने सम्बन्धी कार्यवाही प्रचलित है, अतः भू उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही का वर्तमान में कोई औचित्य नही है। इस संबंध में शीघ्र ही नई महायोजना तैयार हुए, उसके सापेक्ष ही प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

10– किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

11– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

12– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी ।

13– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

14– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से जारी किये जाने वाले कार्यालय आदेश की एक प्रति अनिवार्य रूप से शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव।

.....3

पृ0प0सं0–15 /सम्दिनांकित 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– डा0 किरन मोदी, मैनेजिंग ट्रस्टी उदयान केयर ट्रस्ट, 16/97, प्रथम तल, विक्रम विहार, लाजपत नगर IV नई दिल्ली।
7– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8– प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।